Law of contract (unit-2nd)

LL.B 3year & 5 year(first semester)

धारा10 कौन से करार संविदाएं हैं :–

संविदा की आवश्यक शर्ते :–

प्रत्येक करार संविदा होते हैं यदि वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो –

(1) पक्षकार संविदा करने के लिए सक्षम हो, (धारा II)

(2) उनकी सम्मति स्वतंत्र होनी चाहिए, (धारा 14)

(3) विधिपूर्ण प्रतिफल (धारा 23)

(4) विधिपूर्ण उद्देश्य (धारा 23)

(5) ऐसा करार विधि द्वारा वर्जित न हो।

धारा 11 पक्षकारों की सक्षमता

धारा 11 के अनुसार निम्न व्यक्ति संविदा करने हेतु सक्षम नहीं होते है –

(1) अवयस्क

साधारणतया 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति संविदा हेतु वयस्क कहलाता है परन्तु यदि किसी व्यक्ति के लिए न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त किया गया है तो उसकी वयस्कता की उम्र संविदा हेतु 21 वर्ष होती है।

(2) विकृत चित्त व्यक्ति

कोई व्यक्ति संविदा करने के प्रयोजन के लिए स्वस्थचित्त कहा जाता है, यदि वह संविदा करने के समय, उस संविदा को समझने में और अपने हितों पर उसका प्रभाव के बारे में युक्तिसंगत निर्णय लेने में समर्थ है।

जो व्यक्ति प्रायः विकतचित्त रखता रहता है किन्तु कभी कभी स्वस्थचित्त हो जाता है, वह जब स्वस्थचित्त हो तब संविदा कर सकेगा।

(3) वह व्यक्ति जिन्हें संविदा करने से निहित किया गया है –

(1) विदेशी शत्रु,

(2) विदेशी राजनयिक,

(3) दोषसिद्ध व्यक्ति अपनी सजा के दौरान संविदा नहीं कर सकते।

अवयस्क के करार की पकृति

प्रिवी कौंसिल ने सन् 1903 में (लार्ड नॉर्थ) मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष नामक वाद में अभिनिर्धारित किया कि अवयस्क द्वारा किया गया करार प्रारम्भ से ही शून्य होता है।

अवयस्क के करार के परिणाम

(1) अवयस्क के वियद्ध विबन्ध का नियम (साक्ष्य विधि की धारा 115) लागू नहीं होता है।

(2) प्रत्यांस्थापना का सिद्धान्त (**Doctrine of Resitution**)

आंग्लविध :– आंग्ल विधि के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने (अवयस्क) अपनी आयु के बारे में झूठ बोलकर करार करता है और कुछ धन को प्राप्त कर लेता है तो जब तक वह धन या वस्तुएं उसके कब्जे में है, उससे वापस ली जा सकती है।

भारतीय विधि :–

मोहरी बीबी व धर्मोदास घोष के वाद में यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि अवयस्क के विरूद्ध प्रत्यास्थापना का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। क्योंकि संविदा विधि की धारा 64 के अन्तर्गत उन संविदाओं का प्रत्यास्थापना होता है जो शून्यकरणीय होते हैं एवं धारा 65 के अन्तर्गत उन संविदाओं में प्राप्त किए गएलाभ का प्रत्यास्थापना होता है जो प्रारम्भ से प्रवर्तनीय (वैध) थी परन्तु बाद में कुछ परिस्थितियों के कारण शून्य हो

जाती है। क्योंकि अवयस्क का करार प्रारम्भ से ही शून्य होता है अतः 65 के अन्तर्गत अवयस्क द्वारा प्राप्त किए गए लाभ का प्रत्यास्थापना (वापसी) नहीं करायी जा सकता है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कामता प्रसाद बनाम शिव गोपाल लाल के वाद में प्रिवी कौंसिल द्वारा मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास के वाद में दिए गए निर्णय को स्वीकार किया और अभिनिर्धारित किया कि अवयस्क के ऊपर प्रत्यास्थापना का सिद्धान्त लागू नहीं होता है और वह किसी भी पकार के प्रतिकर के लिए भी दायी नहीं होता है।

अवयस्क के प्रास्थापना करा सकता है :–

राघवाचारियर बनाम श्री निवास

इस वाद के अनुसार अवयस्क प्रत्यास्थापना करा सकता है अर्थात यदि उसने किसी व्यक्ति को कुछ उधार दिया है और उसके द्वारा किया गया कराकर शून्य होता है फिर भी वह धन को वापस ले सकता है।

न्यायालय न कहा कि अवयस्क की संविदा करने से अक्षमता उसके भले के लिए है। इस नियम का अजीब प्रभाव ही होगा अगर उन्हें ऐसी संविदा के अन्तर्गत कुछ प्राप्त न करने दिया जाए जिसमें उन्होंने अपना धन दूसरे को दिया है।

(3) आवश्यक वस्तुओं के लिए दायित्व {धारा 6 **B**}

अवयस्क आवश्यक वस्तुओं हेतु करार कर सकता है और ऐसे करार से वह स्वयं बाध्य नहीं कर उसकी सम्पत्ति बाध्य होगी।

चैपल बनाम कूपर के वाद में न्यायालय ने बताया कि आवश्यक वस्तुएं वे है, जिनके बिना कोई व्यक्ति युक्तियुक्त रूप से जीवित नहीं रह सकता है। प्रथम स्थान पर भोजन, कपड़ा तथा रहने का स्थाना आदि आता हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार भोजन आवश्यकता की परिभाषा में आता है।

नैश व इनमैन के वाद में न्यायालय ने कहा कि माल देने वाले को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि वस्तुऐं केवल आवश्यक ही नहीं वरन् अवयस्क को आवश्यकता भी थी।

क्योंकि उसके समक्ष ऐसी चीजों का अभाव था। इसे नैस बनाम इनमैन का नियम कहते है।

संविदा अधि0 की धारा 68 में स्पष्ट किया गया है कि अवयस्क का यह दायित्व व्यक्तिगत नहीं है और मूल्य केवल अवयस्क की सम्पत्ति से वसूला जा सकता है।

(4) अवयस्क अपने द्वारा किए गए करार को वयस्क होने के पश्चात अनुसमर्थन नहीं कर सकता है –

अवयस्क द्वारा किया गया करार प्रारम्भ से ही शून्य होता है इसलिए वह अनुमोदन द्वारा प्रवर्तनीय नहीं बनायी जा सकती है।

(5) संविदा तथा संविदा सम्बन्धी दुष्कृति (**Tort**) के अन्तर्गत कोई दायित्व नहीं –

अवयस्क उन अपकृत्य के लिए दोषी नहीं होता हैं जो संविदाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं परन्तु वह उन अपकृत्यों के लिए दोषी होता है जो संविदाओं से स्वतंत्र है या संविदा द्वारा उत्पन्न नहीं है। जेनिंग्स व रण्डॉल में प्रतिवादी जो अवयस्क था, उसने थोड़ी दूर, जाने के लिए घोड़ा किराये पर लिया परन्तु उसे बहुत दूर लम्बी यात्रा पर ले गया जिस कारण घोड़ा घायल हुआ। न्यायालय ने अवयस्क को दायी नहीं ठहराया क्योंकि यह केवल संविदा भंग था और इसे दुष्कृति में नही परिवर्तित किया जा सकता था।

एक अन्य मामले में एक अवयस्क ने केवल सवारी के लिए घोड़ी किराये पर ली और उसे अपने मित्र को दे दिया जिसने उसे कुदाया और जिस कारण वह मर गई। अवयस्क को दायी ठहराया गया। कुदाना संविदा क्षेत्र से बहार था, इसलिए स्वतंत्र दुष्कृति थी।

(6) लाभदायक संविदा

आंग्ल विधि – आंग्ल विधि में सेवा एवं शिक्षा की संविदा को आवश्यक संविदाओं के तुल्य रखा गया है अतः यदि कोई अवयस्क किसी व्यक्ति से कुछ सीखने (शिक्षु) या सेवा की संविदा करता है, तो ऐसी संविदा उसके विरूद्ध प्रवर्तित करायी जा सकती है।

राबर्ट्स बनाम ग्रे (विलियर्ड केस)

तथ्य– प्रतिवादी जो अवयस्क था उसने वादी, जो प्रसिद्ध विलियर्ड खिलाड़ी थे, के साथ संविदा की कि विलियर्ड खेलने के विश्व के दौरे में वह उसके साथ रहेंगे। वादी ने काफी समय और धन विलियर्ड प्रतियोगिताओं का प्रबन्ध करने में खर्च किया। किन्तु प्रतिवादी ने साथ नहीं दिया। वादी ने उस संविदा भंग का वाद किया।

निर्णय उसे दायी ठहराया गया क्योंकि यह संविदा उसके (अवयस्क) भले के लिए थी। क्योंकि वह खेलना सीख जाता और वाद में उसे उससे लाभ मिलता।

भारतीय स्थिति :–

परन्तु भारत में मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास के वाद में यह निश्चित हो गया है कि अवयस्क की संविदा पूर्णतया शून्य होती है इसलिए सेवा और शिक्षु (इंटर्नशिप) की संविदा न तो अवयस्क द्वारा न ही अवयस्क के विरूद्ध प्रवर्तनीय है।

राजरानी बनाम प्रेम अदीब

तथ्य– वादी जो अवयस्क थी, उसे फिल्म में अभिनेत्री का अभिनय देने का वचन दिया। अनुबन्ध लड़की के पिता के साथ हुआ। प्रतिवादी ने उस सड़की को अभिनय नही दिया।

निर्णय – बम्बई उच्च न्यायालय ने निर्णीत किया कि न लड़की और न उसका पिता इस वचन पर वाद ला सकते थे। यदि संविदा वादी के साथ थी तो उसने अवयस्क होने के कारण शून्य थी और यदि उसके पिता के साथ थी इसमें कोई प्रतिफल नहीं था।

{ इसमें राघवाचारिदार का वाद भी देना होगा}

विवाह की संविदा

यदि अवयस्क के विवाह की संविदा की गई है तो ऐसी संविदा जब वह वयस्क हो जाता है या हो जाती है तो वह प्रवर्तित करा सकता है या सकती है परन्तु ऐसी संविदाऐं उसके विरूद्ध प्रवर्तित नहीं की जा सकती है।

अवयस्क को किसी फर्म में लाभ का भागीदार बनाया जा सकता है।

(भागीदारी अधि0 की धारा 30)

अवयस्क को अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

(संविदा अधि0 की धारा 184)

स्वतंत्रता सम्मति (**Free Consent**)

धारा 13 सम्मति की परिभाषा

''दो या अधिक व्यक्ति सम्मत हुए तब कहे जाते हैं जब कि वे किसी एक बात पर एक ही भाव में सहमत होते हैं।''

एक ही बात पर एक ही भाव में सहमत होने को वास्तविक सम्मति कहते हैं और आंग्ल विधि में इसे ' **Consensus ad Ideam**' कहते हैं। और यह प्रत्येक संविदा की नींव होती है।

रेफल्स बनाम वाइकलहॉस

तथ्य प्रतिवादी ने वादी से कुछ सूरत का सूत खरीदा जो 'पियरलेस' नामक जहाज द्वारा बम्बई से आ रहा था। इसी नाम के दो जहाज बम्बई से चले, एक अक्टूबर में जो प्रतिवादी के दिमाग में था, और दूसरा दिसम्बर में जो वादी के दिमाग में था।

निर्णय. न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी एक पियरलेस की बात कर रहा था और वादी, दूसरे की। इस कारण उनमें कोई सहमति नहीं हो पायी थी, न ही विधिमान्य संविदा बन पायी थी।

स्वतंत्र सहमति {धारा 14}

धारा 14 के अनुसार सम्मति स्वतंत्र तब कही जाती है जब वह निम्नलिखित ढगों से प्राप्त न की गई हो –

(1) प्रपीड़न (धारा 15)

(2) असम्यक असर (धारा 16)

(3) कपट (धारा 17)

(4) दुर्व्यपदेशन (धारा 18)

(5) भूल {धारा 20, 21 और 22}

प्रपीड़न {धारा 15}

धारा 15 के अन्तर्गत प्रपीड़न द्वारा सम्मति तब कही जाती है जब निम्न प्रकार का दबाव डाला जाता है :–

(1) भारतीय दण्ड संहिता द्वारा वर्जित कोई कार्य करके या उसे करने की धमकी देकर, या

(2) अवैध रूप से किसी सम्पत्ति को रोक कर या उसे रोकने की धमकी देकर।

वाद – रंग नायकम्मा बनाम अलवर सेट्टी

तथ्य – एक जवान विधवा के पति का शव का तब तक अन्तिम सरकार नहीं करने दिया गया जब तक कि वह एक बच्चे को गोद न ले ले।

निर्णय – न्यायालय ने इसे प्रपीड़न माना तथा गोद लेने की संविदा को शून्य घोषित कर दिया।

चीखम अमिराजू बनाम चीखम शेषम्मा

तथ्य – आत्म हत्या की धमकी देकर एक हिन्दू व्यक्ति ने अपनी पत्नी और लड़के से कुछ कागजों पर दस्तखत करवा लिए, जिसके द्वारा उसके भाई के प्रति कुछ ऐसी सम्पत्ति छोड़ दी गई जो उनकी थी।

निर्णय – न्यायालय ने इसे प्रपीड़न माना।

अस्करी मिर्जा बनाम बीबी जय किशोरी

तथ्य – एक अवयस्क ने अपनी अवयस्कता छिपाकर संविदा की जिस पर दूसरे पक्षकार ने उस पर **I.P.C.** की धारा 420 के अन्तर्गत आपराधिक कार्यवाही करने की धमकी दी। अब वह वयस्क हो चुका था और आपराधिक कार्यवाही करे परिणामोंसे बचने के लिए नई संविदा की।

निर्णय– यह प्रपीड़न नहीं माना गया।

प्रपीड़न का प्रभाव (**Effect of Coricon**)

(1) धारा–19 – जब किसी करार की सम्मति प्रपीड़न से कारित हो तो ऐसी संविदा उस पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय है जिसकी सम्मति प्रपीड़न द्वारा कारित हुई थी।

(2) संविदा शून्य घोषित होने के बाद जो कुछ पक्षकारो प्राप्त किया हो उसे वापस करना होगा।

धारा 16 असम्यक असर (**Undue Influence**)

(1) एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में हो, तथा

(2) उसने, उस स्थिति का उपयोग दूसरे पक्षकार से अनुचित फायदा प्राप्त करने के लिए किया हो।

Allicard Vs S Kinner

तथ्य – एक महिला ने अपनी सारी सम्पत्ति चर्च के नाम कर दिया तथा स्वयं भी नन बन गई। बाद में उसने असम्यक असर के आधार पर अपनी सम्पत्ति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया।

निर्णय – न्यायालय ने माना कि इसमें असम्यक असर था।

रघुनाथ प्रसाद बनाम सरजू प्रसाद

तथ्य – प्रतिवादी तथा उसके पिता एक बहुत बड़ी सम्पत्ति के बराबर–बराबर के हिस्सेदार थे। इसी सम्पत्ति के बारे में झगड़ा हुआ और पिता ने प्रतिवादी पर फौजदारी का मुकदमा कायम कर दिया। प्रतिवादी ने अपने बचाव के लिए रूपयों की सख्त जरूरत थी। अतः उसने अपनी सम्पत्ति गिरवी रखकर वादी से 10,000 रू0 24 प्रतिशत ब्याज पर लिए। वाद में इसने असम्यक असर का बहाना लिया।

निर्णय –न्यायालय ने इसे असम्यक असर नहीं माना।

न्यायालय ने कहा कि पक्षकारों के सम्बन्ध ऐसे नहीं थे कि आगे एक दूसरे की इच्छा को अधिशासित कर सकता है।

पर्दानशीन स्त्रियों के साथ की गई संविदा में 'असम्यक असर' की उपधारणा की जाती है।

धारा 19 (क) असम्यक असर का प्रभाव

(1) असम्यक असर द्वारा कारित करार उस पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय होती है जिसकी सम्मति इस प्रकार कारित हुई है।

(2) धारा 19 (क) इस प्रकार की कोई भी संविदा या तो पूरी तरह अपास्त की जा सकेगी या यदि उस पक्षकार ने जो उस संविदा के शून्यकरण का हकदार है और यदि उसने कोइ फायदा प्राप्त किया हो तो न्यायालय, स्वविवेकानुसार जो न्यायसंगत हो आदेश देगा।

असम्यक असर क मामल में धारा 64 के अन्तर्गत पुर्नस्थापना का नियम लागू नहीं होगा

धारा 17 कपट (Fraud)

अंग्रेजी विधि में कपट की परिभाषा हाउस आफ लाड्स ने डेरी व पीक में दी है। लार्ड हरशैल ने कहा कि कपट तब सिद्ध होता ह जब दुर्व्यपदेशन –

(1) जानबूझ कर किया गया हो, या

(2) उसकी सत्यता पर बिना विश्वास किये, या

(3) लापरवाही से बगैर जाने बुझे कि सत्यता क्या है किया गया है।

.केवल मौन रहना कपट नहीं है

साधारणतया केवल मौन रहना कपट नहीं माना जा सकता है सकता है चाहे, इस साधन से ऐसे तथ्य छिपा लिए गए हों जो दूसर पक्षकार के संविदा करने की इच्छा पर प्रभावित होते है। संविदा करने वाले पक्षकार का यह दायित्व नहीं होता है कि वह दूसरे को संविदा की विषय–वस्तु से सम्बन्धित सब कुछ बता दें। इसी सिद्धान्त के अन्तर्गत एक व्यापारी कीमतों में परिवर्तन पर0 मौन रह सकता है यह कपट नहीं होगा। इसी प्रकार जो व्यापारी अपने घोड़ों को बेच रहा है वह उसके विकृत चित्त होने की जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है।

कैवियट इम्पटर (क्रेता सावधान) का नियम इसका एक अच्छा उदाहरण है। बार्ड बनाम हाब्स के वाद में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि यह क्रेता की जिम्मेदारी है क वह क्रय करते समय सावधान रहे और विक्रेता अपने माल के बारे में बताने के लिए बाध्य नहीं है।

मौन कब कपट होता है :

कुछ परिस्थितियों में मौन भी कपटपूर्ण हो सकता है और वे इस प्रकार है :–

(1) प्रकट करने का कर्तव्य :

प्रथम परिस्थिति जिसमें मौन कपटपूर्ण हो जाता है, वह यह है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा मौन रखना जिसका सत्य बताना एक कर्तव्य है।

सत्य बातने का कर्तव्य तब उत्पन्न होता है जब एक व्यक्ति दूसरे पर विश्वास करता है। उदाहरण–जब एक व्यक्ति अपनी पुत्री को घोड़ा बेचता हो तो उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि पुत्र को घोड़ के दोष के बारे में बता दें क्योंकि पुत्री अपने पिता पर विश्वास करता है।

अपने पिता पर विश्वास करता है।

इसी प्रकार बीमा प्रस्तावक का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह सारे महत्वपूर्ण तथ्य बता दे, इसी कारण बीमा संविदा को 'पूर्ण सद्भाव की संविदा' कहते हैं। (**Unberinma Fides**)

विश्वसनीय सम्बन्धों को छोड़कर अन्य किसी परिस्थिति में सत्य बोलने का कोई कर्तव्य नहीं होता है और मौन चाहे कितना भी धोखा दे कपट नहीं माना जाता।

हाजी अहमद यार खाँ बनाम अब्दुल गनी खाँ (लड़की के मिर्गी का वाद)

वादी का खर्चे नही प्राप्त करने दिए गए जो उसने अपने लड़के की सगाई में किए थे, चाहे सगाई इस कारण तोड़नी पड़ कि लड़की के पिता ने यह बात छिपा ली थी कि लड़की को मिरगी के दौरे आते हैं। न्यायालय ने कहा कि "किसी भी व्यक्ति का यह

कर्तव्य नहीं होता है कि वह अपने परिवार की लड़कियों के दोषों का प्रचार करता फिरे।''

(2) जब मौन कपटपूर्ण हो :– कभी कभी खामोशी कपट का ढंग बन जाती है। मौन रहने वाला व्यक्ति यदि यह जानता हो कि उसके मौन के कारण दूसरे व्यक्ति के साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा तो यह कोई कम कपट नहीं। उदाहरणार्थ – क्रेता, विक्रेता से यह पूछे कि घोड़े में कोई दोष तो नहीं है और विक्रेता इस प्रधन पर मौन रहे तो यदि घोड़ा दोषपूर्ण है तो यह खामोशी कपट होगी।

(3) तथ्यों में परिवर्तन

कभी कभी ऐसा कहता है कि जब संविदा की विषय वस्तु के बारे में कुछ बाते एक पक्षकार ने दूसरे को बताई भी और संविदा होने के पूर्व बीच के समय में तथ्यों में परिवर्तन के कारण वह बातें सत्य नहीं रह जाती तो ऐसे परिवर्तन दूसरे पक्षकार की जानकारी में डाल दिए जाने चाहिए। ऐसे परिवर्तनों के बारे में मौन रहना कपट मान लिया जाता है।

(4) अर्द्ध सत्य

जब कोई व्यक्ति सत्य बोलने के कर्तव्य में न भी हो, यदि वह स्वेच्छा से कुछ तों बताता है और कुछ छुपा लेता है तो यह भी कपट हो जाएगा। उसे चाहिए कि या तो बिल्कुल मौन रहे या तो पूरा सत्य बोले।

कपट का प्रभाव

(1) धारा 19 पैरा 1 : ऐसा करार उस पक्षकार जिसकी सहमति कपट द्वारा ली गई है उसकी इच्छा पर यह करार शून्य किया जा सकता है। अतः ऐसी संविदा शून्यकरणीय होती है।

(2) धारा 19 पैरा 2 : इसके अनुसार संविदा का वह पक्षकार जिसकी सम्मति कपट से कारित हुई थी यदि वह ठीक समझे तो आग्रह कर सकेगा कि संविदा का पालन किया

जाए और उसे उस स्थिति में रखा जाए जिसमें वह होता यदि किया गया व्यपदेशन सत्य होता।

दृष्टान्त–ग –

क कपटपूर्वक ख को इत्तिला देता है कि क सम्पदा विल्लगम् मुक्त है। तब ख उस सम्पदा को खरीद लेता है। वह सम्पदा एक बन्धक के अध्यधीन है। ख या तो संविदा को शून्य कर सकेगा या यह आग्रह कर सकेगा कि वह क्रियाचित की जाए और बन्धक ऋण का मोचन किया जाए।

(3) धारा 75 : वह पक्षकार जिसकी सम्मति कपट द्वारा ली गई है वह धारा 75 के अन्तर्गत प्रतिकर की मांग भी कर सकता है।

Distinction between Fraud & Misrepresentation :-

कपट और दुर्व्यपदेशन के मध्य अन्तर

1 कपट आशय से किया जाता है परन्तु दुर्व्यपदेशन भोलापन से भी हो सकता है,

2 कपट संविदा को शून्यकरणीय बनाने के अतिरिक्त दुष्कृति भी है जिसके लिए प्रतिकर प्राप्त किया जा सकता है जबकि दुर्व्यपदेशन में दृष्कृति नहीं होता है अतः कुछ परिस्थितियों को छोड़कर इसमें प्रतिकर नहीं मिलता है,

3 जो व्यक्ति दुर्व्यपदेशन के विरूद्ध शिकायत करता है उसके वाद को इस आधार पर ठुकराया जा सकता है कि साधारण तत्परता से वह सत्यता जान सकता था परन्तु मोन द्वारा कपट को छोड़कर, कपट करने वाले व्यक्ति के पास उपरोक्त बचाव नहीं होता है।

भूल (**Mistake**) {धारा 20–22}

भूल दो प्रकार की हो सकती है –

(1) विधि की भूल (धारा 21)

(2) तथ्य की भूल (धारा 20 व 22)

(1) विधि की भूमि (**Mistake of Law**) धारा 21

विधि की भूल निम्न दो प्रकार की हो सकती है –

(क) भारतीय विधि के सम्बन्ध में भूल

धारा–21 के अनुसार कोई संविदा इस कारण ही शून्यकरणीय नहीं है कि वह भारत में प्रवृत्त विधि के बारे में संविदाएं वैध होगी। (क्योंकि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय विधि की जानकारी होनी चाहिए)

(ख) विदेशी विधि सम्बन्धी भूल

क्योंकि किसी भी व्यक्ति को यह नहीं समझा जा सकता है कि वह विदेशी विधि क बारे में जानकार है। इस आधार पर धारा 21 यह वर्णित करती है कि किसी विदेशी विधि के प्रवृत्ति क बारे में की गई भूमि का वही प्रभाव होगा जो तथ्य की भूल का होता है अर्थात शून्य होगा।

(2) तथ्य की भूल (**Mistake of Fact**) धारा 20 व 22 तथ्य की भूमि कई प्रकार से हो सकता है जो निम्न है :–

(**i**) दोनों पक्षकारों द्वारा भूल – जब किसी करार के दोनों पक्षकार ऐसी तथ्य की बात के बारे में जो करार के लिए मर्मभूत है, भूल में हो वहा करार शून्य होता है।

निम्न परिस्थितियों को करार के लिए आवश्यक माना गया है :–

(अ) संविदा की विषयवस्तु के बारे में भूल –

(**i**) विषय वस्तु के बारे में पक्षकार संविदा कर रहे है वह हो सकता है नष्ट हो चुकी हो।

कोटुरियर बनाम हेस्टाई

तथ्य – आस्ट्रेलिया से कुछ गेंहू जहाज द्वारा इंग्लैण्ड आ रहा था। और इसके बारे में इंग्लैण्ड में विक्रय का सौदा हआ था। पक्षकारों को यह नहीं मालूम था कि उनमें संविदा के पूर्व ही गेंहू गर्म हो जाने के कारण रास्ते में ही बेच दिया गया था। (धारा 20 दुष्टान्त क)

निर्णय– ऐसा करार शून्य माना गया।

(ii) हक या अधिकार के बारे में भूल :

विषय वस्तु के बारे में यह भी भूल हो सकती है कि पक्षकारों की जानकारी के बाहर क्रेत स्वयं ही उस सम्पत्ति का स्वामी हो जो विक्रेता उसे बेचता है। पक्षकार उस स्वामित्व का अन्तरण करना चाहते हैं जो असम्भव है।

कूपर बनाम फिब्स

तथ्य – चाचा ने भतीजे को गलती से यह बता दिया कि वह तालाब में मछली मारने का हकदार होगा। भतीजे ने उस क्षेत्र को किराये पर लेने के लिए चाचा की पुत्री से संविदा की जबकि वास्तव में वह स्थान उसी का था।

निर्णय– हाउस ऑफ लार्डस ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसी संविदा शून्य है।

(iii) दोनों पक्षकार द्वारा संविदा की विषय वस्तु की पहचान के बारे में भूल–

जब किसी तथ्य के बारे में युक्तियुक्त भूल के कारण दोनों पक्षकारों के दिमाग में भिन्न–भिन्न विषयवस्तु है तो संविदा शून्य होगी।

रेफल्स बनाम बाइकलहॉस

तथ्य– प्रतिवादी ने वादी से कुछ सूत खरीदा जो 'पियरलेस' नामक जहाज द्वारा बम्बई से आ रहा था। इसी नाम के दो जहाज बम्बई से चले, एक अक्टूबर में जो प्रतिवादी के दिमाग में था और एक दिसम्बर में जो वादी के दिमाग में थ।

निर्णय– विषय वस्तु की पहचान की भूल के कारण संविदा शून्य मानी गई।

(iv) विषय–वस्तु के सार के बारे में भूल –

पक्षकार ऐसे तथ्य के बारे में भूल कर सकते है जो विषय वस्तु का आवश्यक या अविवक्षित भाग हो सकता है।

उदाहरण एक जमीन के विक्रय का करार शून्य ठहराया गया क्योंकि पक्षकारों की जानकारी के बाहर जमीन अर्जित हो चुकी थी।

(v) पक्षकारों द्वारा विषय वस्तु के गुण के बारे में भूल :

(2) एक पक्षकार द्वारा भूल { धारा 22}

कोई संविदा इस कारण ही शून्यकारणीय नहीं है कि उसके पक्षकारों में से एक के किसी तथ्य की बात के बारे में भूल के कारण हुई हो।

हाजी अब्दुलरहमान बनाम बाम्बे ऐण्ड परशिया स्टीम नैवीगेशन कं0

तथ्य– एक जहाज किराये पर लिया गया जिसमें यह तय किया गया कि जेद्दाह से वह 10 अगस्त 1882 को हाजी अब्दुलरहमान को मिलेगा। इस करार में हाजी को तिथि के बारे में भूल थी उनके हिसाब से 10 अगस्त हज की 15वीं तारीख होगी जबकि हज की 15वीं तारीख 19 अगस्त को पड़ रही थी। इस कारण उन्होंने जहाज कम्पनी से तिथि को परिवर्तित करने हेतु आवेदन किया जिसे वह नहीं माना।

निर्णय– न्यायालय न अभिनिर्धारित किया कि चूंकि यह भूमि एकतरफा भूल है अतः यह करार वैध है और वादी के विरूद्ध प्रवर्तनीय है।

अपवाद– एक पक्षकार द्वारा भूल होने पर संविदा वैध होती है परन्तु कुछ परिस्थितियों में संविदा के एक पक्षकार द्वारा तथ्य की भूल संविदा को शून्य बना सकती है।

पक्षकारों की अनन्यता के बारे में भूल :

(Indentity of Parties)

अनन्यता के बारे में कई प्रकार से भूल हो सकती है उनमें से अधिकतर भूल तब होती है जब एक पक्षकार स्वयं को कोई अन्य व्यक्ति बताकर संविदा करता है। ऐसी संविदा शून्य होगी।

जगन्नाथ बनाम सेक्रेट्री आफ स्टेट फार इण्डिया

तथ्य– एक व्यक्ति जिसका नाम एस था और जो वादी का भाई था, उसे अपने आप को वादी बताकर सरकारी अभिकर्ता को संविदा करने के लिए फुसलाया।

निर्णय– न्यायालय ने देखा कि सरकारी अभिकर्ता वादी के साथ संविदा करना चाहता था और वास्तव में उसका भाई प्रस्तुत था, इस कारण संविदा शून्य थी।

बोल्टन बनाम जोन्स

वादी ने एक ब्रोकलहर्स्ट नाम के व्यापारी का कारोबार खरीद लिया था। प्रतिवादी ने ब्रोकलहर्स्ट के साथ संव्यवहार किया करते थे। इस परिवर्तन को न जानते हुए कुछ किताबे खरीदने का प्रस्ताव भेजा। वादी को यह प्रस्थापना मिली और उसने किताबें भेज दी।...

निर्णय– इस संविदा को शून्य माना गया।

इगंराम बनाम लिटिल

तथ्य– तीन स्त्रिया जो एक कार की मालिक थीं, उसे बेचना चाहती थीं। एक व्यक्ति उनके घर पर आय और अच्छी कीमत देने के लिए राजी था, उसने चेक बुक निकाली तो स्त्रियों ने इन्कार कर दिया। इस पर उसने बताया कि वह सक बहुत बड़ा उद्योगपति है। उसने अपना नाम, पता और टेलीफोन नम्बर बताया। एक स्त्री डाकखाने की और गई और अन्य स्त्रियों को बताया कि जो तथ्य उसने बताये हैं वह टेलीफोन डायरेक्ट्री में उपस्थित हैं। स्त्रियों ने उस पर विश्वास कर लिया। उसका चैक झूठा साबित हुआ इसी बीच उसने कार प्रतिवादी को बेच दी थी। स्त्रियों ने अपनी कार वापस प्राप्त करने के लिए वाद किया।

निर्णय– निर्णीत हुआ कि कार लौटाने के लिए प्रतिवादी दायी था। और संविदा शून्य थी।

वचन की प्रकृति के बारे में भूल

यह सिद्धान्त भलीभांति स्थापित है कि जब एक प्रकार के विलेख पर इस भूल में हस्ताक्षर किए गये हो कि वह किसी और प्रकार का है, तो संविदा बिल्कुल शून्य तथा प्रभाव रहित होगा।

जब एक दान पत्र यह समझकर हस्ताक्षर किये गये कि यह केवल एक मुख्तारनामा है, विलेख शून्य निर्णीत किया गया।

एक पक्षकार का यह कर्तव्य है कि वह दूसरे को विलेख की प्रकृति सही रूप से बताये परन्तु वह कपट द्वारा विलेख पर हस्ताक्षर प्रापत कर लेता है। चाहे यह भूल केवल एक पक्षकार की ही होती है, संविदा फिर भी शून्य होगी।

विलेखों पर गलती से दस्तखत करने को नॉन एस्ट फैक्टम भी कहते हैं। इससे ऐसे व्यक्ति जिसने किसी विलेख पर उसे कुछ और ही विलेख समझकर दस्तखत किए हैं, विलेख से बचने का अधिकार दिया जाता है।